

भारती एयरटेल लिमिटेड

CIN: L74899DL1995PLC070609 (Old)

पंजी. कार्यालय: एयरटेल सेंटर, प्लॉट नं. 16, उद्योग विहार, फेस-IV,
गुरुग्राम - 122015, भारत

दूरभाष: 91-124-4222222; फैक्स: 91-124-4248063

ईमेल: compliance.officer@bharti.in वेबसाइट: www.airtel.com

सूचना

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष ("आईईपीएफ") को

भारती एयरटेल लिमिटेड ("कंपनी") के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना कंपनीज अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') प्रावधानों के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेख परीक्षण, हस्तांतरण व रिफण्ड) नियमावली, 2016 ("नियमावली") के अनुपालन में प्रकाशित की गई है। अधिनियम व नियम के अनुसार उन इक्विटी शेयरों का आईईपीएफ में हस्तांतरण अनिवार्य है, जिनमें लाभांश लगातार सात वर्ष या अधिक की अवधि में भुगतान या चुकता नहीं किया गया है।

उपरोक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ऐसे शेयरधारकों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर रही है जिनका अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2014-2015 (अंतरिम लाभांश 2014-15) और अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतिम लाभांश 2013-14) से शुरू कर लगातार सात वर्षों से बकाया है/ दावा नहीं किया गया है और उन्हें भेजे जा रहे पत्राचार में दी गई प्रक्रिया अपनाकर क्रमशः 17 सितंबर, 2021 और 6 अक्टूबर, 2021 तक उन पर दावा करने का अनुरोध किया है। वर्णित समय सीमा में शेयरधारक द्वारा वैध दावे प्राप्त की अनुपस्थिति में, कंपनी नियम के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण को उक्त शेयरों का हस्तांतरण करेगी।

इसके अतिरिक्त, भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक और जिसके शेयर आईईपीएफ को हस्तांतरित होने योग्य हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी डिमेट फॉर्म के परिवर्तन के उद्देश्य के लिए उनके द्वारा आयोजित मूल प्रमाणपत्र(ओं) के संबंध में नए शेयर प्रमाणपत्र(ओं) को जारी करेगी और उसके बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा खोले गए डिमेट खातों में हस्तांतरण करेगी। ऐसी स्थिति में उनके नाम पर पंजीकृत मूल प्रमाणपत्र(ओं) स्वयं रद्द हो जाएंगे और गैर-विक्रेय माने जाएंगे। डिमेट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के मामले में, यहां ऊपर निर्देशित अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में शेयरों का हस्तांतरण निगमित कार्यवाही के द्वारा संबंधित डिपोजिटरीज के माध्यम से कंपनी द्वारा प्रभावित किए जाएंगे। शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी ने फोलियो नं./डीपीआईडी एवं क्लाइंट आईडी सहित हस्तांतरित किए जाने योग्य शेयरों की अपडेटेड सूची अपनी वेबसाइट www.airtel.com पर अपलोड की हैं। शेयरधारक आगे ध्यान दें कि अपनी वेबसाइट पर कंपनी द्वारा अपलोड विवरण नियमों के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(ओं) के जारी होने के संबंध में सूचना के रूप में देखा जाए।

कृपया ध्यान दें कि दोनों पे-आउट के लिए लाभांश का दावा करने की अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए दोनों मामलों के संबंध में केवल एक ही सूचना जारी की जा रही है। अंतरिम लाभांश 2014-15 और अंतिम लाभांश 2013-14 पर दावा करने की अंतिम तिथि क्रमशः 17 सितंबर, 2021 और 6 अक्टूबर, 2021 है, उन शेयरधारकों के लिए जिन्होंने लाभांश पर लगातार सात वर्षों से बकाया है/ दावा नहीं किया है।

हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों के संबंध में कोई अन्य लाभांश/लाभ, यदि कोई है, भी आईईपीएफ को क्रेडिट किया जाएगा। आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित लाभांश और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा। आईईपीएफ प्राधिकरण को लाभांश व शेयरों के हस्तांतरण पर, शेयरधारक नियमों के अनुसार फॉर्म आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को आवेदन करके उसपर दावा कर सकते हैं। उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट और आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

उक्त के संबंध में, संबंधित शेयरधारकों से एक बार फिर से, इस सूचना की प्राप्ति पर तुरंत अपने लाभांश पर दावा करने का अनुरोध है। उन्हें पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, रद्द किए गए बैंक की प्रति, पता प्रमाण की मूल प्रति और मूल गैर नकद लाभांश वारंट (यदि कोई हो) या विधिवत रूप से दायर क्षतिपूर्ति बॉन्ड (आरटीए और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) के सहित लिखित आवेदन जमा करना होगा। असफल होने पर कंपनी अधिनियम और नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में उन शेयरों, जिन पर लाभांश सात वर्षों तक बकाया/ गैर चुकता है, को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, आईईपीएफ में हस्तांतरित कर देगी।

किसी भी पूछताछ के मामले में शेयरधारक, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड से उनके पते सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032, टॉल फ्री नं. 1800-3454-001, ई-मेल आईडी : einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: www.kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते भारती एयरटेल लिमिटेड

हस्ता /-

पंकज तिवारी

कम्पनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 16 जून, 2021

BHARTI AIRTEL LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC070609 (Old)

Regd. Office: Airtel Center, Plot No. 16, Udyog Vihar, Phase-IV,
Gurugram - 122015, India

Tel.: +91-124-4222222; **Fax.:** +91-124-4248063

Email id: compliance.officer@bharti.in, **Website:** www.airtel.com

NOTICE

Transfer of equity shares of Bharti Airtel Limited ("Company") to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"). The Act and the Rules provide for the compulsory transfer of equity shares, in respect of which dividend remains unpaid/ unclaimed for a period of seven consecutive years or more, to IEPF Authority.

Adhering to the aforesaid requirements, the Company is communicating individually to such shareholders whose interim dividends remain unpaid/ unclaimed for seven consecutive years commencing from the financial year 2014-2015 (interim dividend 2014-15) and the financial year 2013-14 (Final Dividend 2013-14), requesting them to claim the same by September 17, 2021 and October 6, 2021 respectively, by following the procedure laid down in the correspondences being sent to them. In the absence of the receipt of a valid claim by the shareholders within the mentioned time frame, the Company will transfer the said shares to IEPF authority in accordance with the Rules.

Further, the shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF may please note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original certificate(s) held by them for the purpose of conversion into DEMAT form and subsequent transfer to the DEMAT accounts opened by the IEPF Authority with NSDL/CDSL. Upon such issue, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of such shareholders holding shares in DEMAT form, the transfer of shares to DEMAT account of the IEPF Authority as indicated herein above shall be effected by the Company through the respective depositories by way of corporate action. The shareholders may note that the Company has uploaded the updated list of such shareholders alongwith Folio No./DPID and Client ID which are liable to be transferred to IEPF on its website at www.airtel.com. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website is treated as notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

Please note that as the last date to claim the dividend for both the pay-out are in close proximity, only one notice is being issued in this regard covering both the events. The last date(s) to claim the dividend are September 17, 2021 and October 6, 2021 for Interim Dividend 2014-15 and Final Dividend 2013-14 respectively, for such shareholders whose dividend remain unpaid/ unclaimed for seven consecutive years.

Any further dividend/benefit, if any, in respect of shares so transferred shall also be credited to IEPF. No claim shall lie against the Company in respect of the dividend and the shares transferred to IEPF Authority. On transfer of the dividend, and shares to IEPF Authority, the shareholders may claim the same by making an application to IEPF in Form IEPF-5, as per the Rules. The said form is available on the Company's website and on the website of IEPF at www.iepf.gov.in.

In view of the above, the concerned shareholders are once again requested to claim their unclaimed dividends immediately on receipt of this Notice, within the aforesaid timelines, by submitting written application along with a self-attested copy of PAN card, copy of cancelled cheque, self-attested copy of address proof and the original uncashed dividend warrant (if any) or a duly filed indemnity bond (available on the website of RTA and Company) failing which the Company shall, in adherence to the requirements of the Act and the Rules, transfer the shares on which dividend remains unpaid/ unclaimed for seven consecutive years in accordance with applicable provisions without any further notice.

In case the shareholders have any queries, they may contact Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, at their address Selenium Building, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032. Toll Free No.: 1800-3454-001. Email id: einward.ris@kfintech.com, Website: www.kfintech.com.

For **Bharti Airtel Limited**
Sd/-

Pankaj Tewari
Company Secretary

Place : Gurugram

Date : June 16, 2021